लात-घूंसे से हत्या करने वाले दोषियों को आजीवन कारावास

झाबुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी द्वारा शुक्रवार को लात-घूंसे से मारपीट कर हत्या करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

एडीपीओ सूरज बैरागी ने बताया कि एक नवंबर 2019 को सवला बिलवाल के साथ रमेश बिलवाल व सकरू बिलवाल, कालीबाई, फतिया बिलवाल, कांजी बिलवाल, अल्पा बिलवाल व राजू सभी निवासी ढोल्यावाड़ के नुक्ते के कार्यक्रम में गए थे। वे वहां से वाहन से कालू भावोर की अस्थियां कोटेश्वर ले गए थे। इसके बाद वहां से वापस आ गए। दोपहर करीब 3 बजे ढोल्यावाड़ के समीप सवला उतरा तो पुराने झगडे को लेकर कांजी और अल्पा उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। जब इसका सवला ने विरोध किया तो कांजी ने उसके पेट पर लात मार दी। जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसके बाद अल्पा ने थप्पड़ व मुक्कों से सवला के साथ मारपीट की। गंभीर अवस्था में उसे दाहोद व इसके बाद वड़ौदा ले जाया गया। लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कांजी व अल्पा को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को न्यायाधीश अंसारी ने आरोपित कांजी व अल्पा को दोषी मानते हुए धारा 302, 34 में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोषियों से जमा अर्थदंड में से 10 हजार रुपये मृतक के स्वजन को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान करने के आदेश भी दिए गए।